

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 213/2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2024/342

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
शिवकरण पुत्र पूनाराम जाति जाट निवासी धरियालो का वास, सोगावास तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर		1.खेताराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी लखवरा तहसील चौहटन 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- 1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

:आदेश :

दिनांक- 22/05/2025

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी श्री शिवकरण पुत्र पूनाराम जाति जाट निवासी धरियालो का वास सोगावास तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1573/186 व 1574/186 मौजा भांडियावास तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2055/1522 में से 04 गट्टा चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा मार्क ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।
2. प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने पर विप्रार्थी की तामीली दैनिक राष्ट्रीय अखबार राजस्थान पत्रिका में छायाकन करवाए गए। विप्रार्थी की सम्यक तामीली होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा ने



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल भिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौरान बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2055/1522 भूमि में से 04 गट्टा चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावे। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं, प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पंचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थी को आपत्ति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने के लिए सहमत है।
4. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 2055/1522 में से 04 गट्टा चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई है। विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पंचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए, जिसके अनुसार :-
5. ग्राम भांडियावास तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 2055/1522 में आवागमन हेतु संलग्न नक्शा बरंग हरा में दर्शित भूमि निकटतम है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से राजकीय मार्ग तक पहुंचने का निकटवर्ती विकल्प विद्यमान नहीं है, उक्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम व प्रयुक्त होना बताया गया।
6. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251-क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसार:-
  - i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और
  - ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-
 

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1574/186 में आवागमन हेतु राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, अतः उक्त वर्णित धारा 251-क प्रावधानानुसार प्रार्थी आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया है। प्रस्तावित रास्ता भूमि के खातेदारान को जरिए दैनिक अखबार में नोटिस छायाकन करवाए गए थे, उक्त विप्रार्थी की सम्यक तामीली होने के उपरांत भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किए जाने की विप्रार्थी की मौन स्वीकृति है, क्योंकि यदि विप्रार्थी को आपत्ति होती तो उजर-एतराज पेश करते, लेकिन ऐसा विप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा नजदीक दूरी का रास्ता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

7. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 2055/1522 में से 36 मीटर लम्बाई व 05 मीटर चौड़ाई की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर की प्रति बीघा की दुगुनी प्रतिकर हेतु देय कुल राशि-96,264/- रुपये बनती है, जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।




आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम भांडियावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1574/186 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

2055/1522 में से 36 मीटर लम्बाई व 05 मीटर चौड़ाई (36X 5= 180 मीटर) की सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट में दर्शित नक्शानुसार बरंग हरा भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पंचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 96,264/- (अक्षरे छियानवे हजार दो सौ चौसठ) रूपये की राशि विप्रार्थी संख्या 01 को भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।




(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22/05/25 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा 22/05/25